सुनवाई का अधिकार अपील संख्या 02/2025 विपिन कुमार बनाम संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग जोधपुर

द्वितीय अपीलीय अधिकारी
सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर सम्भाग जोधपुर

सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील संख्या 02/2025

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
विपिन कुमार जांगीड़ पुत्र स्व0 अर्जुनलाल निवासी– आथूना भूतिया बास, आईटीआई के पीछे, वार्ड संख्या–1 चुरू शहर जिला चुरू		संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर सम्भाग, जोधपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

उपस्थितिः–

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट विभाग की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि श्री योगेश कोशिक, सांख्यिकी अधिकारी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 01 अक्टूबर, 2025

अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी (संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर) को दिनांक 21.04.2025 को प्रस्तुत की गई। उनकी प्रथम अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा सुनवाई नहीं किये जाने व जवाब नहीं दिये जाने के आधार पर दिनांक 06.06.2025 को प्रेषित की गई है।

अपीलार्थी की उक्त द्वितीय अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर कार्यालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं उनके कार्यालय में संधारित पत्रावली तलब की गई तथा अपील के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.2025 नियत की जाकर अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया। अपील पर सुनवाई हेतु निर्धारित की गई तिथी को अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए।

अपीलान्ट ने अपील में यह तथ्य अंकित किये है कि प्रथम सुनवाई अधिकारी एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को जरिये ई–मेल दिनांक 12.04.2025 के द्वारा एक परिवाद

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रेषित करते हुए उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.2025 पर विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई और अपीलान्ट को कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया।

अपीलान्ट ने दिनांक 31.01.2025 को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में यह कथन किया था कि अपीलान्ट/प्रार्थी को अन्तिम प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था से प्रार्थी के गृह जिले के समीपस्थ विद्यालय में पदस्थापित/अन्तरित करने हेतु निवेदन किया था क्योंकि वर्तमान पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोशीफॉर्म, ग्राम पंचायत बोरून्दा, जिला जोधपुर के दौरान उन पर हुई जानलेवा हमले की वारदात एवं अन्य अन्यायपूर्ण घटनाओं के चलते प्रार्थी ने विभाग के अधिकारीगण को लिखित दरख्वास्त/पत्राचार मय आवश्यक सबूत पेश कर आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही करने का निवेदन किया था। परन्तु उन पत्राचार पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी, इसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रार्थी को प्रताड़ित करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करने के बजाय विभाग के स्थानीय अधिकारी ने प्रार्थी के चिकित्सकीय अवकाशों को खारिज कर उपस्थित होने के आदेश जारी किये और प्रार्थी के विरूद्ध जॉच जारी होने के कथन किये, परन्तु किस अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध जॉच की जा रही है, इसका कोई पता प्रार्थी को नहीं है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है तथा ऐसी किसी जॉच के लम्बित होने के तथाकथित हवाले से प्रार्थी की एसीपी एवं अन्य परिलाभों को जरूर विधिविरूद्ध रोका गया है जो कि प्रताड़ना में आता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने निजी बचाव एवं विधिक अधिकारों की रक्षा के प्रयोजन से जब प्रार्थी द्वारा विभाग के स्थानीय अधिकारी के यहॉ आवेदन कर अपनी सेवा पुस्तिका एवं अन्य रिकार्ड की मांग की गई तो दस्तावेज उपलब्ध करवाने के बजाय कारण बताओं नोटिस जारी कर प्रताड़ित किया गया और प्रार्थी को बीमार होने की हालत में भीस्वयं कार्यालय में गौजूद रहने को बाध्य करने के आशय के लिये मजबूर किया गया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 25.9.2019 के अनुसार कार्यालयों में प्राप्त होने वाले प्रत्येक पत्र/परिवेदना/प्रार्थना पत्र को वैध आधिकारिक दस्तावेज माना गया है किन्तु स्थानीय अधिकारी ने उक्त परिपत्र के निर्देशों के विपरित प्रार्थी के ई–मेल द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र को उचित माध्यम नहीं माना जो कि राज्य सरकार के निर्देर्शो की अवमानना है।

अपीलान्ट/प्रार्थी ने प्रथम सुनवाई अधिकारी के समक्ष यह भी कथन किया था कि मूल पदस्थापन्न स्थान के विद्यालय में वापस भेजे जाने पर प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर प्रार्थी की हत्या करने या उसे किसी झूठे अभियोजन में फंसाया जा सकता है। ऐसे में प्रार्थी को उक्त प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है और वह बीमार होने की ओर से अग्रसर है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः प्रार्थी के केरियर, जीवन व प्राणरक्षा के लिये प्रार्थी को अन्तिम प्रतिनियुक्ति/कार्य व्यवस्था से प्रार्थी के गृह जिले के समीपस्थ पदस्थापित करने के आदेश जारी करावें।

अपीलान्ट के द्वारा प्रथम सुनवाई अधिकारी एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर के द्वारा उनके परिवाद दिनांक 12.04.2025 पर किसी प्रकार की कार्यवाही होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं होने का उल्लेख करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी (संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 21.04.2025 को जरिये ई–मेल को प्रेषित की गई परन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी जन सुनवाई अधिकारी के ही समान विधिक निर्देशों की अवज्ञा करते हुए ना ही कोई सुनवाई का नोटिस जारी किया गया और ना ही कोई निर्णय किया गया है। परन्तु जन सुनवाई अधिकारी के द्वारा तयशुदा 07 योम में ना तो कोई सुनवाई का अवसर दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का नोटिस जारी किया गया और ना ही कोई निर्णय किया गया। जन सुनवाई अधिकारी के द्वारा राज्य के विधान से आबद्ध होने के बावजूद विधि के सम्मत निर्देर्शो की अवहेलना की गई है। अतः जन सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उक्त अधिकारीगण पर विधिसम्मत शास्ती आरोपित की जावें।

अपीलान्ट की ओर से प्रेषित द्वितीय अपील पर रेस्पोडेन्ट संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर कार्यालय के पत्रांक सं0नि0/स्कूल शिक्षा/ जोध/ई.एफ./2025–26/84 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा इस कार्यालय को टिप्पणी प्रेषित की गई। दौराने सुनवाई संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर कार्यालय के विभागीय प्रतिनिधि श्री योगेश कोशिक, सांख्यिकी अधिकारी ने उनके कार्यालय की ओर से प्रेषित टिप्पणी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 21.04.2025 को प्रेषित प्रथम अपील ई–मेल के माध्यम से राज. सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रेषित की गई थी। रेस्पोडेन्ट के पास तीन कार्यालयों का चार्ज होने एवं विभागीय कार्यो में अत्यधिक व्यस्तता के फलस्वरूप अपीलार्थी की प्रथम अपील पर नियत अवधि में सुनवाई हेतु उन्हें सूचित नहीं किया जा सका। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा परिवाद का अवलोकन करने के उपरान्त अपने अधीनस्थ कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के द्वारा पूर्व में कई बार अपने कर्तव्य स्थल एवं सहकर्मियों की शिकायतें करने के सम्बन्ध में ई–मेल शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त होते रहे है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीपाड़ शहर द्वारा जॉच कमेटी का गठन कर जॉच करवाई गई जिसके निष्कर्ष के अनुसार अपीलान्ट विपिन कुमार के विरूद्ध विद्यालय में किसी प्रकार का षडयंत्र नहीं रचा जा रहा है तथा न ही उसे ग्रामीण जनों से जान

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

का खतरा है। अतः प्रस्तुत शिकायत झूठी एवं तथ्यों से परे होना पाया गया है, यह सब परिस्थितियॉ विपिन कुमार के उग्र व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई है।

विभागीय प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के आदेश क्रमांक 22810 दिनांक 30.6.2025 के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में कार्मिक/अपीलान्ट का चयन एवं पदस्थापन महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय वार्ड नम्बर–4 एकलव्य कॉलोनी, उदयपुर में किये जाने के उपरान्त इन्हें दिनांक 1.7.2025 को उक्त विद्यालय हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा सारांश रूप से मुख्य मांग स्वयं के केरियर, जीवन रक्षा के लिये अपना पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति, कार्यव्यवस्था अन्यत्र विद्यालय में करने का अनुरोध किया है। ऐसे में अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं अपील में अंकित अनुतोष के अनुसार उनका कार्मिक का चयन एवं पदस्थापन्न अन्य स्थान पर हो गया है। अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

विभागीय प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा पूर्व में कई बार अपने कार्यस्थल एवं सहकर्मियों की शिकायतें करने के सम्बन्ध में ई–मेल शिक्षा विभाग के विभन्न कार्यालयों में प्राप्त होते रहे है। अपीलान्ट के द्वारा शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला, सम्भागीय कार्यालयों में केवल ई–मेल से शिकायत की जाती है। जन सुनवाई अधिकारी के द्वारा राज्य के विधान के निर्देशों की किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं की गई है एवं आवेदक की पूर्व में की गई जॉच के निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक की मंशा आधारहीन रूप से स्वयं को पीड़ित बताते हुए राजकीय समय व श्रम का दुरूपयोग करने, व्यर्थ करने की रही है। अपीलान्ट आदतन शिकायती एवं शक्की व सनकी प्रवृति का है। अतः अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 06.06.2025 को प्रेषित इस द्वितीय अपील को सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी दिनांक 16.07.2025 का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास तीन कार्यालयों का चार्ज होने एवं विभागीय कार्यो में व्यस्तता होने के कारण अपीलार्थी की प्रथम अपील पर नियत समय अवधि में सुनवाई हेतु सूचित नहीं किया जा सकना, अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत परिवाद का मुख्य विषय उनके वर्तमान पदस्थापन्न स्थान पर जानलेवा हमला होने एवं स्थानिय अधिकारीगण के द्वारा प्रताड़ित किये जाने से उनकी अन्तिम प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था से प्रार्थी के गृह जिले के समीपस्थ विद्यालय में पदस्थापित करने की प्रार्थना की जाती रही है। प्रार्थी के द्वारा अपने पर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हुए जानलेवा हमले होने पर रिपोर्ट दर्ज कराये जाने तथा अधिकारीगण के द्वारा प्रताड़ित किये जाने सम्बन्धी कोई विधिक दस्तावेज अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास किया जा सके। प्रार्थी के द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीपाड शहर के द्वारा गठित जॉच कमेटी की जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध विद्यालय में किसी प्रकार का षड़यंत्र नहीं रचे जाने तथा जान का खतरा नहीं होने तथा प्रस्तुत शिकायत झूठी एवं तथ्यों से परे होना उल्लेखित किया गया है तथा अपीलान्ट को आदतन शिकायती एवं शक्की एवं सनकी प्रवृति का होना दर्शाया है।

इसके अतिरिक्त अपीलान्ट का पदस्थापन्न वर्तमान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोशी फॉर्म, बोरून्दा, तहसील पीपाड शहर, जिला जोधपुर से महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय, वार्ड नं. 4, एकलव्य कॉलोनी, उदयपुर में दिनांक 30.06.2025 को हो जाना भी प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया है। ऐसे में अपीलान्ट के द्वारा अपने परिवाद के अनुसार चाहा गया अनुतोष यानि अन्यत्र पदस्थापन/स्थानान्तरण प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनता से चिन्तन व मनन करने पर यह पाया गया है कि अपीलान्ट की अपील में दर्शाये गये तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपील सारहीन व आधारहीन पाई जाती है। इस प्रकार अपीलान्ट की यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर